भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3200
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराए की सीमा

3200. **श्रीमती भारती पारधीः**
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू विमान कंपनियों द्वारा व्यस्ततम अवधि अथवा त्योहारों के मौसम के दौरान किराए में अत्यधिक वृद्धि-5000 रुपए से 50,000 रुपए तक बढ़ाकर के माध्यम से यात्रियों के वित्तीय शोषण को रोकने के लिए वर्तमान में सरकार के पास उपलब्ध विनियामक तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमान कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गतिशील मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम के कारण आम आदमी के लिए विमान यात्रा वहन करने योग्य नहीं रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का घरेलू विमान किरायों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पारदर्शिता लाने और विमान कंपनियों को वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के अंतर्गत उन्हें दी गई मूल्य निर्धारण स्वायत्तता का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए उक्त नियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की प्रशुल्क निगरानी इकाई द्वारा केवल सीमित मार्गों पर ही हवाई किराए की निगरानी किए जाने के दृष्टिगत सरकार द्वारा आपात स्थिति अथवा व्यस्ततम अवधि के दौरान सभी मार्गों पर अनुचित मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): मार्च 1994 में वायु नियम अधिनियम के निरसन के साथ, हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित किए जाने के अध्यधीन नहीं हैं। विमानन कंपनियों को वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए किसी मार्ग विशेष पर अपनी परिचालन और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर हवाई किराया निर्धारित करने की स्वायत्तता है।

हवाई किराए का मूल्य आपूर्ति और मांग की शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन है। वर्तमान सीट अधिभोग, ईंधन लागत, विमान क्षमता, मौसमी उतार-चढ़ाव

और अन्य प्रासंगिक कारक जैसे विभिन्न निर्धारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

एयरलाइन मूल्य निर्धारण कई स्तरों {बकेट या आरबीडी} पर तय होता है, जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही परिपाटी के अनुरूप है। यात्रियों के लिए अग्रिम बुकिंग पर निम्न किराया हमेशा उपलब्ध होता है, जिससे यात्री व्यस्ततम यात्रा तारीखों या त्योहारी मौसम के दौरान भी अधिक किफायती किराया प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता है और यात्रा की तारीख नजदीक आती है, किराया अधिक होता जाता है, क्योंकि कम किराए वाले टिकट (लोअर बकेट फेयर) बिक चुके होते हैं।

सरकार सामान्यतया बाजार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित करने से अलग रहती है, हालांकि, यह सतर्क निगरानी की भूमिका बनाए रखती है, असाधारण परिस्थितियों में जैसे कोविड महामारी, महाकुंभ जैसे त्योहारों के दौरान या पहलगाम की घटना और इंडिगो उड़ान में व्यवधानों जैसे अन्य असाधारण मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पुनर्वितरण करके और अस्थायी रूप से किराया सीमाएं लगाकर हस्तक्षेप करती है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) की स्थापना की है जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का यादृच्छिक आधार पर उपयोग करके चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें स्वयं के द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें। यह घरेलू यातायात का लगभग 27% कवर करता है। ऐसा करके, टीएमयू एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ की सीमाओं के भीतर हवाई किराया स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
